e-off

फा.सं.आर 20011/121/2017. प्रशा I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

रातस्व विभाग

नई दिल्ली, 3 अगस्त 2017

सेवा में,

श्री धनराज सिंह

सुपुत्र श्री नफे सिंह,

वार्ड सं. 01 , सूर्या नगर,

रोहतक, हरियाणा-124001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया जन सूचना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सम्बोधित दिनांक 24.05.2017 के अपने आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ व अवर सचिव (रोकड़), राजस्व विभाग के पत्राचार फा.सं.503626/2017-रोकड़, दिनांक 13.07.2017 का संदर्भ लें जिसके बिन्दु सं. 9 के माध्यम से आपके आवेदन को मुझे आपको सूचना उपलब्ध कराने हेतु हस्तांतरित किया गया है। बिन्दु सं.09 संबंधित सूचना निम्न प्रकार से है:

" कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/3/2008-स्थापना (भत्ता), दिनांक 02.09.2008 एवं 23.11.2009 के अनुसार प्रतिपूर्ति केवल विद्यालय जाने वाले बच्चों की शिक्षा पर व्यय लागू होगा अर्थात् नर्सरी से बाहरवीं कक्षा तक जाने वाले बच्चों के लिए जिनमें जूनियर कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालयों या बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों द्वारा चलायी जाने वाली गयारहवीं और बाहरवीं कक्षाएं शामिल होती हैं। 'नर्सरी से बाहरवीं कक्षाओं में' । कक्षा से XII कक्षा + कक्षा । से पूर्व की 2 कक्षाएं शामिल होंगी चाहे उनका नाम कुछ भी हो।"